राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय तल, राजीव गॉधी विद्या भवन,
डॉ0 राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17
E-Mail : rajsmsa.monitoring@rajasthan.gov.in

क्रमांक : रास्कूशिप / जय / मॉनीटरिंग / वी.सी. / 2020–21 / 16038 दिनांक : 20/10/2020

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समस्त जिले

अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक
समस्त जिले

विषय :– दिनांक 23.10.2020 को अयोज्य वीडियों कॉन्फ्रेन्स के क्रम में।

समग्र शिक्षा अन्तर्गत संचालित गतिविधियों, निर्माण कार्यों की समीक्षा हेतु दिनांक 23.10.2020 को दोपहर 2:00 बजे से राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त महोदय, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग की अध्यक्षता में वीडियों कॉन्फ्रेन्स आयोज्य है। वीडियों कॉन्फ्रेन्स का आयोजन NIC के जिला कलेक्ट्रेट स्थित वी.सी. केन्द्रों के माध्यम से किया जाना है।

वीडियों कॉन्फ्रेन्स में निम्न अधिकारी गतिविधियों की अद्यतन प्रगति सहित भाग लेना सुनिश्चित करें–

- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक
- अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक
- सहायक लेखाधिकारी / लेखाकार
- सहायक अभियन्ता

संलग्न एजेण्डा बिन्दुओं के अनुसार जिले की बिन्दुवार अद्यतन सूचनाए दिनांक 21.10.2020 को साय: 11:00 बजे तक मॉनिटरिंग शाखा की मेल–आई डी RAJSMSA.MONITORING@RAJASTHAN.GOV.IN पर हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न : वीडियो कॉन्फ्रेन्स एजेण्डा

www.rajteachers.com

(डॉ. रश्मि शर्मा)
अति0 राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक : रास्कूशिप / जय / मॉनीटरिंग / वी.सी. / 2020–21 / 16038 दिनांक : 20/10/2020
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग,राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, स्कूल शिक्षा विभाग,राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
4. निजी सहायक, जिला कलक्टर, समस्त जिले।
5. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक,(प्रथम / द्वितीय)रास्कूशिप, जयपुर।
6. वित्तीय सलाहाकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
7. उपायुक्त समस्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
8. अधीक्षण अभियन्ता, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
9. संयुक्त निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
10. उपनिदेशक–स्टोर 15 अधिकारियों हेतु चाय एवं अल्पहार की व्यवस्था कराए।
11. श्री सर्वोत्तम पारीक, प्रोग्रामर, रास्कूशिप,जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वी.सी. हेतु उक्त तिथि एवं समय आरक्षित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
12. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त–मॉनिटरिंग

अक्टूबर माह में जिलों के साथ आयोज्य वीसी के एजेण्डा बि

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम		
क्र.सं.	उपायुक्त / संयुक्त निदेशक	चर्चा के बिन्दु
1.	उपायुक्त–प्रथम	• वार्षिकोत्सव एवं एलुमिनाई मीट में भामाशाहो / दानदाताओं द्वारा की गई घोषणाओं की विद्यालयवार शाला दर्पण पर प्रविष्टियों की प्रगति। • ज्ञान संकल्प पोर्टल हेतु विद्यालयों के अकाउण्ट वेरिफिकेशन की प्रगति। • मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के अन्तर्गत अब तक 22 शहरी आदर्श व 2 अन्य विद्यालयों में कार्य की प्रगति। • विद्यालय में कम्पनियों व भामाशाहों द्वारा करवाये जो रहे विकास कार्यों को ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से करवाये जाने हेतु निर्देश। • ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से विद्यालयो को प्राप्त राशि का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु उपयोगिता प्रमाण–पत्र जारी करने के संबंध में निर्देश। • मॉडल स्कूल व महात्मा गांधी स्कूल का नामांकन। • मॉडल स्कूल व महात्मा गांधी स्कूल में ऑनलाईन कक्षाओं का संचालन। • मॉडल स्कूल व महात्मा गांधी स्कूल में रिक्त पदों पर कार्य व्यवस्थार्थ शिक्षक लगाना। • मॉडल विद्यालय व महात्मा गांधी विद्यालय भवन व कार्मिकों को अन्य कार्य में नहीं लगाना। • मॉडल विद्यालय व महात्मा गांधी विद्यालय में क्लिक योजना का संचालन। • समन्वित आंगनवाडी केन्द्रों में एबीएल कक्ष में पेन्टिंग एवं ग्रीन बोर्ड के क्रय हेतु जारी राशि का उपयोग दिशा–निर्देशों के अनुसार किये जाने के संदर्भ में चर्चा। • शाला दर्पण पोर्टल पर विकसित आंगनवाडी मॉडयूल में प्रविष्टि के संदर्भ में चर्चा। • माध्यमिक शिक्षा (आदर्श) एवं प्रारम्भिक शिक्षा (उत्कृष्ट) के विद्यालयों में आयोजित किये जाने वाले वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह की पूर्व तैयारी की समीक्षा।
2.	उपायुक्त–द्वितीय	• निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण 2020–21 की पूर्व तैयारी एवं आमुखीकरण। • न्यून स्तर व कक्षा स्तर की कार्य–पुस्तिका का विद्यार्थियों तक वितरण। • शाला सिद्धि अन्तर्गत स्व मूल्यांकन एवं बाह्य मूल्यांकन की समीक्षा। • गतिविधि आधारित शिक्षण (एबीएल) हेतु जिलों को 2019–20 में आवंटित लक्ष्य के विद्यालयों में एबीएल कक्ष के विकास की समीक्षा।
3.	उपायुक्त–तृतीय	• यू–डाइस डाटा 2019–20 के समेकन / मुख्य निष्कर्षों पर चर्चा एवं डाइस 2020721 के प्रारम्भ करने पर चर्चा। • भारत सरकार के प्रबंध सिस्टम पोर्टल पर चर्चा। • आईसीटी योजनान्तर्गत जिलों को परिषद से प्राप्त राशि के भुगतान एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति :– आईसीटी तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम चरण हेतु परिषद मुख्यालय द्वारा जिलों की मांग के आधार पर समय–समय पर राशि हस्तानान्तरित की गई है। उक्त राशि का जिलों द्वारा उपयोग किया जाने एवं उपयोग की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र परिषद मुख्यालय को भिजवायें जाने हेतु निर्देशित किया जाना है। • 75:25 योजनान्तर्गत 2239 विद्यालयों में से 245 विद्यालयों का अंशदान जिला स्तर से अप्राप्त है। इस संबंध में तत्काल राशि भिजवाने हेतु जिलों को निर्देश। • आईसीटी लैब के रखरखाव एवं क्रियाशीलता की स्थिति के संबंध में समीक्षा। • डिजीटल इनिसिएटिव कार्यक्रम SMILE की प्रगति एवं समीक्षा।

www.rajteachers.com

		• कार्मिक व्यक्तिगत विस्तृत विवरण प्रपत्र 10 में जोड़ी गयी अतिरिक्त सूचनाओ की प्रविष्टि। • सीधी भर्ती से नव नियुक्ति वरिष्ट अध्यापक की पोर्टल पर जोइनिंग शत प्रतिशत। • ACP , स्थाईकरण के समस्त प्रस्ताव ऑनलाइन कार्मिक स्टाफ लॉग इन से किये जाने है। विशेष आवश्यकता होने पर ही सम्बन्धित कार्मिक से संग्लन की मांग की जा सकेगी। • **Career Portal** district wise progress report of July-Sep 2020 and a report for examining the overall progress of districts.

4.	संयुक्त निदेशक	• न्यायिक प्रकरणों को अद्यतन करना।
		• प्लेसमेन्ट एजेन्सी के कार्मिकों / सेवाओं का विवरण।
		• संस्थापन / प्रशासन संबंधित प्रकरण।
		• प्रतिनियुक्ति पर चार वर्ष पूर्ण करने वाले कार्मिकों की कार्यमुक्ति के प्रस्ताव।
		• समग्र शिक्षा के जिला एवं ब्लॉक कार्यालयों की संस्थापन सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर अद्यतन करना।
		  ▪ शाला दर्पण पर अधिकारियों / कार्मिकों की सूचना (प्रपत्र–10) अपडेट करें। (यदि कार्मिक एसएसए एवं रमसा के समय से निरन्तर कार्यरत हैं तो कार्यग्रहण तिथि उसी समय की अंकित करें)
		  ▪ कार्यग्रहण / कार्यमुक्त होने वाले सभी अधिकारियों / कर्मचारियों को शाला दर्पण द्वारा ऑनलाईन कार्यग्रहण / कार्यमुक्त करें।
		  ▪ प्लेसमेन्ट कार्मिकों की सूचना पोर्टल पर अपडेट नहीं करें।
		• दिनांक 15.07.2020 को आयोजित वीसी में शामिल एजेण्डा बिन्दु 4 अनुसार सूचना अद्यतन ना करने वाले जिलों से चर्चा।

अक्टूबर माह में जिलों के साथ आयोज्य वीसी के एजेण्डा बिन्दु

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक–द्वितीय		
क्र.सं.	उपायुक्त	चर्चा के बिन्दु
1.	उपायुक्त–चतुर्थ	• एसएमसी/एसडीएमसी प्रशिक्षण हेतु केआरपी एवं आरपी प्रशिक्षण पर चर्चा। • एसएमसी/एसडीएमसी प्रशिक्षणों पर चर्चा। • हरित पाठशाला कार्य{म पर चर्चा। • 80 जी रजिस्ट्रेशन पर चर्चा। • पर्यअकों के साथ शिक्षा संवाद पर चर्चा। • शालादर्पण पोर्टल एवं यू–डाइस पर CWSN विद्यार्थियों की अद्यतन प्रविष्टि के संबंध में चर्चा। • प्रबंध पोर्टल पर व्यय की प्रविष्टि के क्रम में चर्चा। • विभिन्न गतिविधियों हेतु जारी की गई वित्तीय स्वीकृति की राशि के उपयोग के संबंध में चर्चा। • मेडिकल कम असेसमेन्ट कैम्प की पूर्व तैयारी के संबंध में चर्चा। • अंग–उपकरण वितरण हेतु अक्टूबर 2020 के अन्तिम सप्ताह में शिविर आयोजन कराने के संबंध में चर्चा। (विद्यालय खुलने की स्थिति में) • CWSN विद्यार्थियों हेतु ट्रांसपोर्ट, एस्कॉर्ट, रीडर एवं बालिकाओं हेतु स्टाईपेंड भत्तों के आवेदन भरवाकर चयनित CWSN के खाते में राशि हस्तान्तरण बाबत चर्चा। • मॉडल संदर्भ कक्षों की स्थापना एवं संचालन के संबंध में चर्चा। • REI हेतु नियुक्त एपीसी को एमओयू की मॉनिटरिंग हेतु निर्देशित करना। • संस्थाओं से निरन्तर समन्वय बनाते हुये ADPC की अध्यक्षता में माहवार बैठक आयोजित करवाने हेतु निर्देश। • एमओयू की प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह की 5 तारीख तक अनिवार्य रूप से करवाने हेतु निर्देश।
2.	उपायुक्त–पंचम	• व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं की मानदेय पुनर्भरण पत्रावलियों के निस्तारण के सम्बन्ध में निर्देश। • व्यावसायिक शिक्षा विषयों की प्रयोगशाला स्थापित करने बाबत निर्देश। • व्यावसायिक शिक्षा में विद्यालयों के नामांकन का शालादर्पण पोर्टल पर अपलोड करने के सम्बन्ध में निर्देश। • प्रबन्ध पोर्टल (पूर्व PMS) पर मासिक व्यय अपलोड किये जाने हेतु निर्देश। • जॉब फेयर हेतु निर्धारित प्रारूप में सूचना प्रेषित करने बाबत निर्देश।
3.	उपायुक्त–षष्टम	• बजट घोषणा संख्या 100 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020–21 में खुलने वाले नवीन केजीबीवी के लिये 22 में से 7 ब्लॉक में भूमि का आवंटन नहीं हुआ है। अतः सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ जिला स्तर पर प्रतिदिन मॉनीटरिंग किये जाने हेतु निर्देश। ○ (जिला बांसवाड़ा – तलवाड़ा, अरथुना, गांगड़तलाई, जिला डूंगरपुर – गलियाकोट, जिला उदयपुर – मुरावड़, झल्लारा, ऋषभदेव, जिला करौली – मण्डरायल, जिला बाड़मेर – पाटोदी, धनाऊ, जिला हनुमानगढ़ – नोहर) • विभिन्न वित्तीय वर्षो में केजीबीवी टाईप–1 को टाईप–3 में अपग्रेड किये गये 47 ब्लॉकों में से 42 भवनों का कार्य निर्माणाधीन है। निरन्तर मॉनीटरिंग करके तय समय–सीमा में निर्माण कार्य संपन्न कराना। भवन के हैंडओवर के पश्चात् सूचना केजीबीवी प्रकोष्ठ को भिजवायें के सबंध में चर्चा। • केजीबीवी टाईप–1,3 एवं टाईप–4 के लिये टी.एल.एम, फर्नीचर एवं बैडिंग के लिये जारी राशि का उपयोग कर तुरन्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र भिजवाये जाने के संबंध में निर्देश। • प्रतिमाह की 07 तारीख से पूर्व आवर्ती एवं अनावर्ती मद में व्यय की गई राशि का पीएमएस पोर्टल पर इन्द्राज किये जाने के संबंध में चर्चा।

www.rajteachers.com

	• प्रत्येक केजीबीवी के नोडल प्रधानाचार्य के दायित्वों का आमुखीकरण जिला स्तर से करवाकर निरन्तर मॉनीटरिंग करने हेतु निर्देश। • नामांकन लक्ष्य को शत प्रतिशत पूर्ण करवाया जाने हेतु निर्देश। • पत्र क्रमांक 15466 दिनांक 30.09.2020 "मेरा विद्यालय सुरक्षित विद्यालय" (कोविड–19 संक्रमण बचाव एवं उपाय) हेतु वॉल पेन्टिंग मैटर भेजा गया है जिसके अनुसार सभी विद्यालयों में माह अक्टूबर 2020 तक वॉल पेन्टिंग का कार्य अनिवार्य रूप से किये जाने के संबंध में चर्चा।
4.	उपायुक्त–सप्तम	• कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट 2020–21 की राशि की वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 14082 एवं 14083 दिनांक 24.08.2020 के द्वारा प्रारम्भिक व माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों हेतु सभी जिलों को जारी की जा चुकी है। राशि की पहुंच विद्यालय स्तर तक सुनिश्चित करना। • कोविड–19 से प्रभावित प्रवासी श्रमिकों के परिवारों के बच्चों का चिन्हीकरण कर शाला दर्पण पोर्टल पर पीईईओ/सीआरसी लॉग–ईन से सूचनाओं को प्रविष्ट करना।
5.	अधीक्षण अभियंता	• निर्माण कार्यों की भौतिक प्रगति की समीक्षा। • समग्र शिक्षा अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों के लिए राशि के उपयोग की स्थिति एवं राशि की मांग पर चर्चा। • सर्व शिक्षा अंतर्गत वर्ष 2017–18 तक स्वीकृत निर्माण कार्यों के लिए राशि के उपयोग की स्थिति पर चर्चा। • रमसा अंतर्गत वर्ष 2017–18 तक स्वीकृत निर्माण कार्यों के लिए राशि के उपयोग की स्थिति पर चर्चा। • रमसा अंतर्गत वर्ष 2010–11 से 2017–18 तक स्वीकृत निर्माण कार्यों में फर्नीचर एवं लैब उपकरण हेतु राज्य मुख्यालय से जिलों को हस्तानान्तरित राशि की उपयोग पर चर्चा।

www.rajteachers.com